

## केन्द्रीय विद्यालय संगठन

## KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय) (An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. Of India) क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़/Regional office, Chandigarh एससीओ/SCO NO. 72-73, सैक्टर 31-ए/SECTOR 31-A, चंडीगढ़/ Chandigarh वेबसाइट/Web: https://rochandigarh.kvs.gov.in, ई-मेल/E-Mail: kvsadmnchd@qmail.com दुरभाष/Contact No.: 0172-2638031 (Admn. Section)

पत्रांक 160114/KVS(CR)/Admn/2023/ 4136 tu 4229

दिनांक:-15.06.2023

## संशोधित कार्यालय आदेश/ REVISED OFFICE ORDER

केंद्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय) नई दिल्ली के परिपत्र 11-55/2000-KVS(Vig.)Pt 11212-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में कार्यस्थल पर महिलायों से यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के पावधानों के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ एवम इसके अधीन समस्त केंद्रीय विद्यालयों से पाप्त शिकायतों के निपटान के सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश संख्या फ.160114/KVS(CR)/Admn. /2022 दिनांक 06.04.2022 के तारतम्य में निमंलिखित सदस्यों की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है जोकि तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक कार्य करेगी |

In compliance to KVS(HQ), New Delhi Order No. 11-55/2000-KVS(Vig.) Pt 11212-25 dated 05.03.2019 and In continuation to this office order No.F.160114/KVS(CR)/Admn. /2022 Dated 06.04.2022 an Internal Complaint Committee comprising of the following officers, is hereby constituted for timely redressal of grievance under Article-4 of Sexual Harassment of women at workplace (prevention, prohibition & redressal) Act-2013 for employees of Regional Office, Chandigarh & Kendriya Vidyalaya's under Chandigarh Region, which will work with immediate effect till further orders: -

under Chandigath Region, which win work with inimediate effect an range			
क्र.सं.	अधिकारी का नाम और पता	समिति में	Jurisdiction
S.No.	Name of Officer & Designation	धारित'पद	
1.	श्रीमती स्वाती अग्रवाल,सहायक आयुक्त, केंद्रीय	पीठासीन अधिकारी	1.To Inquire into the
	विद्यालय संगठन,क्षेत्रीय कार्यलय,देहरादून	Presiding Officer	complaint of
	Smt.Swaty Aggarwal,		narassinent as
	Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya		place against the officials at the Regional
	Sangathan, Regional Office, Dehradun		
2.	श्रीमती अनिता निझवान, गैर सरकारी संगठन, सदस्य	एन.जी.ओ.सदस्य	Office up to level of SO
	Smt.Anita Nijhawan, N.G.O. Member	NGO Member Mob:0982330337	(excluding FO) and against Principals, Vice-
3.	श्री पालिशाह, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय, सुरानुस्सी	सदस्या/Member	Principals & HMs of the
-/	Sh. Paalishah, Principal Kendriya Vidyalaya, Suranussi		Region Concerned.
4.	श्रीमती मोनिका, प्राचार्या केंद्रीय विद्यालय, जलालाबाद।	सदस्या/Member	
	Smt. Monika, Principal Kendriya Vidyalaya, Jalalabad		

परीसाइडिंग आफिसर के कार्य निम्नवत होंगें :-

- वे एनजीओ सदस्य एवं सिमिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर जांच की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगें ।
- 2. माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न संबंधी केस मेधा कोतवाल लेले एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में वर्णित दिशा -निर्देशों के अनुरूप जांच करेंगें ।
- 3. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया,अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार की जाए ।

(प्रीति सक्सेना PREETI SAXENA) उपायुक्त DEPUTY COMMISSIONER

## वितरण:

- 1. समिति के सभी सदस्यों को जानकारी एवं अनुपालना हेतु /All Members of the Committee for information and necessary compliance.
- 2. संयुक्त आयुक्त(कार्मिक /प्रशासन) व सतर्कता अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.),नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ | The Joint Commissioner (Pers./Admn) & CVO, Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) New Delhi for information.
- 3. सहायक आयुक्त (सतर्कता), केंद्रीय विद्यालय संगठन (मृ.), नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ | The Assistant Commissioner (Vigilance) Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) New Delhi for information.
- 4. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यलयो एवं समस्त जीट के सूचनार्थ | The Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices for information.
- 5. प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ संभाग | इस कार्यालय आदेश के विषयवस्तु को अपने विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों में उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाही के लिए पावती सहित परिचालित करे। उचित पावती सहित विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी भेजे।
  - All the Principals of Chandigarh Region for information with the directions to inform all the staff under their jurisdiction. Further directed that a copy of the same may be sent to the Chairman, VMC for information under proper receipt.
- 6. अनुभाग अधिकारी एवं वित्त अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़ संभाग के सूचनार्थ। The Section Officer & Finance Officer, KVS(RO) Chandigarh for information.